

# मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर - दिसम्बर, 1995 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 15, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्कृत वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर विद्ये जायेंगे.

### 2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री बनवारीलाल अग्रवाल, धाररत्नन्द गेहलोत, बच्चन नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले के सरिया यानान्तर्गत चौपाल कार्यक्रम के दौरान एक महिला सरपंच के साथ बलात्कार का प्रयास किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री धनश्याम सिंह, सोनेराम कुशवाह, सदस्य, प्रदेश के डबारा एवं कैतारस स्थित शक्कर कारखाना नामिको द्वारा कुषको को अहित राशि का भुगतान न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (कृषि) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गौरीशंकर शेखवार, सदस्य, भोपाल के इमीडिया अस्पताल में आस्था अभियान की दान राशि में हेराफेरी किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री मदनगोपाल सिंह, सदस्य, सरगुजा जिले के बैकुण्ठपुर एवं अम्बिकापुर में इकैली की अनेक घटना घटित होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 3. प्रतिवेदनों पर चर्चा

(1) मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग की द्वितीय रिपोर्ट वर्ष 1985-88 तथा आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन वर्ष 1985-88 में की गई अनुशंसाओं के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही के प्रतिवेदन पर चर्चा (सामग्री).

निर्धारित  
समय  
3 घंटा

(2) मध्य प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त का ग्यारहवां और बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 पर चर्चा

### 4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों के प्रकोप तथा चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामतखन शर्मा, बच्चन नायक, रविन्द्र चौबे, गौरीशंकर बिरेन, नेमीचंद्र जैन, धनेश पटिला, डॉ. गौरीशंकर शेखवार, श्री बनवारीलाल अग्रवाल तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, चर्चा उठावेंगे.

भोपाल :  
दिनांक : 5 दिसम्बर, 1995

अशोक चतुर्वेदी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा